तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्श जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
21/8/25	अपीलान्ट की ओर से प्रार्थना पत्र बावत निर्णय दिनांक 06.02.2025 में नामान्तकरण संख्या सही करने पेश होने पर पत्रावली रिकॉर्ड से तलब होकर पेश हुई। अधिवक्ता अपीलान्ट ने निवेदन किया कि पत्रावली में सभी प्रकियाओं को पूरा करते हुये दिनांक 06.02.2025 अपील स्वीकार करते हुये तहसीलदार निवाई को रिमांड किया गया था। लेकिन पत्रावली में पारित निर्णय दिनांक 06.02.2025 में नामांतरकरण संख्या 692 की जगह संहवन से नामान्तरकरण संख्या 240 अंकित हो गया है जिसे दुरूस्त किया जाकर 692 किया जाना आवश्यक व न्यायसंगत है। पत्रावली का अवलोकन किया गया पत्रावली में अपीलान्ट की ओर से अपील पेश करते समय नामान्तकरण संख्या 240 दिनांक 10.06.77 ग्राम पंचायत डांगरथल को निरस्त कर अपीलान्ट का नाम किशनलाल भरे जाने का चाहा गया है। पत्रावली को दर्ज रजिस्टर ग्राम पंचायत डांगरथल को जरिये सरपंच डांगरथल तह0 निवाई तलब किया गया, जिस पर बाद सूचना अनुपस्थित रहने से ग्राम पंचायत डांगरथल के विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाकर पत्रावली में दिनांक 06.02.2025 को अपील विरूद्ध नामान्तकरण संख्या 240 दिनांक 10.06.77 ग्राम पंचायत डांगरथल को निरस्त फरमाया जाकर तहसीलदार निवाई को मृतक बिरधा के विधिक वारिसों की पुनः जांच कर, रिकॉर्ड में अंकितानुसार, विधि सम्मत नामान्तरकरण दर्ज करने हेतु आदेशित किया गया है। अतः पत्रावली एवं पत्रावली में पारित निर्णय दिनांक 06.02.2025 के अवलोकन से यह तो स्पष्ट है कि अपील पेश करते समय ही अपीलान्ट की ओर से नामान्तरकरण संख्या 240 अंकित करते हुये पेश की गई है जिससे पत्रावली में पारित निर्णय दिनांक 06.02.2025 में नामान्तरकण संख्या 240 अंकित करते हुये निर्णय पारित किया गया है। मूल अपील में ही गलत नामान्तरकण संख्या अंकित किया गया है। अपीलान्ट की ओर से प्रार्थना पत्र बाबत निर्णय दिनांक 06.02.2025 में नामान्तकरण संख्या सही करने पेश किया गया है ऐसे में मूल अपील में नामान्तरकरण संख्या दुरूस्त किये जाने के उपरान्त ही निर्णय दिनांक 06.02.2025 में नामान्तरकरण संख्या 240 के स्थान पर 692 किया जा सकता है। अतः अधिवक्ता अपीलान्ट को मूल अपील में नामान्तरकरण संख्या 240 के स्थान पर 692 लाल स्याही से अंकित करने की अनुमति प्रदान की जाती है। तथा पत्रावली में पारित निर्णय दिनांक 06.02.2025 में नामान्तरकरण संख्या 240 के स्थान पर 692 दुरूस्त किया जाता है। पत्रावली पूर्ववत दाखिल दफ्तर हो। उपखण्ड अधिकारी निवाई (टोंक)	